□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 1969
30 □□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□
ग्रामीण क्षेत्रों म डॉक्टरों को उपलब्धता

1969. □□. □न्द्र □□□ □□□□□:
श्री□□□□ ज□□त्स्ना □□□□□□ □□□□:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा कि
(क) क्या सरकार ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य को देखभाल के लिए चिकित्सा को तीनों पद्धतियों के डॉक्टरों को विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या:

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र म ऐसी व्यवस्था करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों म सवाधिक प्रचलित रोगों का आकलन करने के लिए कोई सवक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रोगों के नाम क्या ह?

<u>□त्□□</u>

<u>स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)</u>

(क) और (ग): स्वास्थ्य परिचया चुनौतियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म समाप्त करने के लिए, जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले सभी व्यक्तियों को पहुँच योग्य, किफायती एवं गुणवत्तापूण स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को प्रतिपूर्ति हेतु वष 2005 म राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का शुभारंभ किया गया था। एनआरएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक उप-मिशन है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के नाते संविदात्मक आधार पर तकनीशियन और परा-चिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सकों को भर्ती या आउटसोसिग के लिए सहायता सभी प्रशासनिक और कामिक संबंधी मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जिम्मेदारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतगत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधनों के तहत उनके कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर, संविदात्मक आधार पर चिकित्सकों को आवश्यकताओं हेतु सहायता सहित उनको स्वास्थ्य परिचया प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और

तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों म दवाओं के विभिन्न शाखाओं के डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की होती है।

देश के ग्रामीण, सुदूर और दुगम क्षेत्रों म चिकित्सकों की उपलब्धता म वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः

(i) सरकारी सेवा म चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों म ऐसे अधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, जिन्होंने सूदूर और या दुगम क्षेत्रों म कम से कम 3 साल की सेवा की है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी सुदूर और /या दुगम और/या ग्रामीण क्षेत्रों म और दो वर्षों की सेवा की हो।

(ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों म प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा म सुदूर अथवा कठिन क्षेत्रों म सेवा के प्रत्येक वष के लिए प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन, जो कि अधिकतम 30 प्रतिशत तक हो सकती है, प्रदान करना।

एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, दुगम और ग्रामीण क्षेत्रों म सेवा और उनके आवासीय क्वाटर के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुगण क्षेत्र भत्ता देने के लिए सहायता भी दिया जाता है ताकि वे इस प्रकार के क्षेत्रों म जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों म सेवा करने के लिए आकर्षित हो सक। दुरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों म सीज़ेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित आपातकालीन प्रसूति परिचया (ईएमओसी) बाल चिकित्सा और एनेस्थिटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थिसियी (एलएसएएस) म प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय के लिए सहायता भी दिया जाता है। राज्यों को जन स्वास्थ्य सुविदा केन्द्रों म विशेषज्ञों की भर्ती हेतु लचीले मापदंड अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इनम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य कायक्रम कायान्वयन योजना (पीआईपी) म अनुरोधों को शामिल करने के लिए तंत्र तथा जन सुविधा केन्द्रों म सेवा प्रदायगी के लिए सरकारी प्रणाली के बाहर विशेषज्ञों की भर्ती की जाती है। अन्य तरीके और अपेक्षित विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए निजी चिकित्सा सुविधा केन्द्रों को पैनलबद्ध करना, विशेषज्ञ सेवाओं के 'कॉन्ट्रेस्टिग आउट' और 'कॉन्टेक्ट इन' के लिए विभिन्न तंत्र शामिल है।

आयुष का सुव्यवस्थिकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के मुख्य कायनीतियों म से एक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का एक ऐसे घटक जो ग्रामीण लोगों को गुणवत्ता स्वास्थ्य परिचया और किफायती, पहुँच प्रदान करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत दूरस्थ सीएचसी और पीएचसी को प्राथमिकता देते हुए आयुवद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सकों, पराचिकित्सकों की भर्ती के लिए सहायता दी जा रही है, बशत वे मौजूदा जिला अस्पतालों (डीएचएस), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के साथ सह स्थित हों।

माच, 2021 की स्थिति के अनुसार, एनएचएम के तहत विभिन्न स्वास्थ्य परिचया म 15340 कायशाली सह-स्थित सुविधा केन्द्रों म 27792 से अधिक आयुष चिकित्सकों को सहायता दी गई है और इसका विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर दिए गए ह।

(ग): भारत सरकार परिचया के स्तरों पर अथात् उप स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और एकीकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) के

माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों म उच्च स्तर नियमित रूप से सुविधा केन्द्र के स्तर पर रोग निगरानी संबधी सूनचा एकत्रित करता है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के तहत, रोग नियंत्रण कायक्रम नियमित रूप से विशेष रोग सूचना और सविधा केन्द्र के स्तर पर डेटा एकत्रित कर रहा है।

□□□ग्र□-I

एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-□□□ □□□ चिकित्सकों को संख्या

क्र. □□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	□□□ □□ि□त□□
1	बिहार	2783
2	छत्तीसगढ	557
3	हिमाचल प्रदेश	243
4	जम्मू और कश्मीर	872
5	झारखंड	559
6	मध्य प्रदेश	1422
7	ओडिशा	2151
8	राजस्थान	1647
9	उत्तर प्रदेश	4097
10	उत्तराखंड	366
11	अरुणाचल प्रदेश	116
12	असम	710
13	मणिपुर	177
14	मेघालय	234
15	मिजोरम	60
16	नगालड	51
17	सिक्किम	10
18	त्रिपुरा	154
19	आंध्र प्रदेश	130
20	गोवा	78
21	गुजरात	2392

22	हरयाणा	616
23	कनाटक	1493
24	केरल	742
25	महाराष्ट्र	2344
26	पंजाब	596
27	तमिलनाडु	418
28	तेलंगाना	584
29	पश्चिम बंगाल	1987
30	एक प्रायद्वीप	33
31	चंडीगढ़	29
32	दादर एवं नगर हवेली / दमन और दीव	20
33	दिल्ली	0
34	लद्दाख	19
35	लक्षद्वीप	12
36	पुद्दुचेरी	90
□□□□ □□□□		27792
स्रो□: □□□□□□-□□□□□□ /□□□□ माच, 2021 क स्थिति के अनुसार		

[illegible]-II

एनएचएम के तहत विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल म राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आयुष सह-स्थित सुविधाओं का [illegible]

क्र. [illegible]	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	अन्य स्वास्थ्य [illegible]	[illegible]
1	बिहार	36	0	0	0	1348	1384
2	छत्तीसगढ	18	98	0	454	0	570
3	हिमाचल प्रदेश	1	32	0	101	0	134
4	जम्मू और कश्मीर	20	13	0	375	571	979
5	झारखंड	24	48	0	97	267	436
6	मध्य प्रदेश	36	88	0	305	0	429
7	ओडिशा	3	314	0	1162	0	1479
8	राजस्थान	1	164	1	837	0	1003
9	उत्तर प्रदेश	102	666	0	627	105	1500
10	उत्तराखंड	13	53	7	44	0	117
11	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
12	असम	0	0	0	0	0	0
13	मणिपुर	7	17	1	78	0	103
14	मेघालय	11	23	0	55	0	89
15	मिजोरम	9	9	1	9	0	28
16	नगालड	9	20	0	9	0	38
17	सिक्किम	4	1	0	4	0	9
18	त्रिपुरा	3	21	11	84	0	119
19	आंध्र प्रदेश	9	105	0	273	0	387

20	गोवा	2	6	2	24	1	35
21	गुजरात	0	0	0	886	0	886
22	हरयाणा	21	97	0	109	5	232
23	कनाटक	14	70	96	395	0	575
24	केरल	0	0	0	0	0	0
25	महाराष्ट्र	23	238	0	20	0	281
26	पंजाब	20	62	23	134	0	239
27	तमिलनाडु	31	385	232	537	0	1185
28	तेलंगाना	8	46	42	479	137	712
29	पश्चिम बंगाल	16	213	39	222	1561	2051
30	एक प्रायद्वीप	3	4	0	20	0	27
31	चंडीगढ़	1	2	1	0	26	30
32	दादर एवं नगर हवेली / दमन और दीव	2	4	1	11	1	19
33	दिल्ली	43	0	0	131	0	174
34	लद्दाख	2	0	0	32	0	34
35	लक्षद्वीप	1	3	0	4	1	9
36	पुद्दुचेरी	4	4	0	39	0	47
□□□□ □□□□		497	2806	457	7557	4023	15340
स्रो□: □□□□□□-एमआईएस /रपोट माच, 2021 तक							

*****